संलग्नक-1

संख्या- 584 ई-2/तेरह-2011-10/11

प्रेषक,

नवल किशोर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक:: 12 मार्च, 2011

विषयः- वर्ष 2011-12 की आबकारी नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-184/दस-लाइसेंस/367/सुझाव-आबकारी नीति/2011-12, दिनांक 03 मार्च,2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2011-12 के लिये आबकारी नीति के सम्बन्ध में जनहित में लिये गये निम्नलिखित निर्णयों को सूचित करने का मुझे निदेश हुआ है:-

1- वर्ष 2009-10 की आबकारी नीति में विशिष्टि मेरठ जोन में फुटकर बिक्री की दुकानों का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य के नियंत्रणाधीन शीर्ष सहकारी संस्थाओं/निगम द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया था तथा प्रदेश के अन्य तीन जोनों आगरा, वाराणसी तथा लखनऊ में फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन पृथक-पृथक सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया गया था, जिन्हें वर्ष 2010-11 के लिये नवीनीकृत किया गया था। व्यापक राजस्व हित में उपरोक्त तीनों जोनों आगरा, लखनऊ, वाराणसी तथा नवसृजित जोन गोरखपुर जो वाराणसी जोन के ही तीन प्रभारों को सम्मिलित कर सृजित किया गया है, में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स का व्यवस्थापन वर्ष 2011-12 हेतु भी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण के माध्यम से कराया जायेगा।

2- नवीनीकृत न हो पाने वाली दुकानों तथा नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र मांगकर किया जायेगा। दो या दो से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा।

3- वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति से पूर्व ही उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन की प्रकिया प्रारम्भ होना संभावित है, जिसके प्रारम्भ होते ही आचांर संहिता प्रभावी हो जायेगी। वार्षिक आबकारी नीति के समयान्तर्गत निर्धारण एवं कियान्वयन पर भारी मात्रा में आबकारी राजस्व निहित हैं। अतः वर्ष 2012 के प्रारम्भिक माहों में उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन संभावित होने के कारण वर्ष 2011-12 की आबकारी नीति के

2

निर्धारण के साथ ही वर्ष 2012–13 हेतु भी आबकारी नीति एवं तत्संबंधी देयताओं का निर्धारण भी राजस्व हित में कर लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

4– वर्ष 2010–11 में विशिष्ट विस्तारित जोन मेरठ में देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापन शीर्ष सहकारी संस्था, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 तथा संयुक्त उद्यमी भागीदार को दिये गये हैं। अब अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त जोन में दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन वर्ष 2011–12 हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन किसी शीर्ष सहकारी संस्था/निगम, किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, जो इस शासनादेश द्वारा निर्धारित अर्हतायें रखते हों, से आवेदन पत्र प्राप्त करके किया जायेगा।

4 (1) <u>विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन :–</u>

विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन की फुटकर बिक्री की दुकानों के आवेदकों के लिये निम्न अर्हताएं रखी जानी प्रस्तावित हैः–

(क) आवेदक 21 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति हो सकता है, जो भारत का नागरिक हो। ऐसे आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल निवास–प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) आवेदक रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म या कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हो सकती है। कन्सोशियम इसके लिये अर्ह नहीं होंगे। पंजीकृत कम्पनी की स्थिति में आर्टीकिल आफ एसोसियेशन, मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन एवं सर्टीफिकेट आफ इनकारपोरेशन तथा रजिस्टर्ड भागीदार कम्पनी की स्थिति में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) राज्य के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश राज्य की शीर्ष सहकारी संस्थाएं /निगम

(घ) इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यापार में निहित भारी राजस्व के दृष्टिगत आवेदक की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना आवश्यक है। अतः ऐसे आवेदक का शराब के थोक/फुटकर बिक्री के व्यवसाय में वर्ष 2008–09, वर्ष 2009–10 व वर्ष 2010–11 में से किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 400 करोड़ रु0 का वार्षिक टर्न ओवर हो। टर्न ओवर की गणना हेतु थोक/फुटकर देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों एवं माडलशाप्स से मदिरा की बिक्री ही सम्मिलित होगी। इस टर्नओवर में मदिरा उत्पादन एवं इस उत्पादित मदिरा की बिक्री सम्मिलित नहीं होगी। टर्नओवर के प्रमाण के रुप में चार्टड एकाउन्टेन्ट एवं राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र के आबकारी अथवा वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) आवेदक अल्कोहल उत्पादक/मदिरा का निर्माता नहीं होना चाहिए।

(च) आवेदक का मदिरा के थोक/फुटकर बिक्री के व्यवसाय का अनुज्ञापी के रुप में अनुभव हो। अनुज्ञापी के रुप में अनुभव के साक्ष्य के प्रमाण स्वरुप राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र के आबकारी विभाग द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनुज्ञापन की किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

(छ) आवेदक आबकारी राजस्व का बकायेदार न हो एवं आबकारी लाइसेंस धारण करने हेतु अन्यथा अनुपयुक्त न हो।

(ज) आवेदक को किसी अनुसूचित बैंक द्वारा न्यूनतम 100 करोड़ रु0 की वित्तीय क्षमता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(झ) आवेदक को विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ समस्त देशी शराब की दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स की लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के समतुल्य धरोहर धनराशि

आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के पदनाम से निर्गत बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर के रुप में देय होगी, जो चयन न होने की दशा में वापसी योग्य होगी।

(ञ) आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस के रुप में किसी शिडयूल्ड बैंक का रु0 10000/- (रु0 दस हजार) का आबकारी आयुक्त के पदनाम से निर्गत बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर भी संलग्न करना होगा।

चयन प्रकिया :-

(क) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समुचित प्रचार-प्रसार कर एवं समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर आवेदन पत्र मांगे जायेंगे।

(ख) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अर्ह आवेदकों का चिन्हांकन किया जायेगा।

(ग) एक से अधिक अर्ह आवेदक चिन्हित होने की दशा में सफल आवेदक का चयन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

(घ) एकल अर्ह आवेदक होने की दशा में उसे अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु चयनित किया जायेगा।

4-(2) देशी शराब:-

(क) प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्क:-

विभाग में आवेदन पत्र का कोई मूल्य नहीं लिया जाता है, किन्तु प्रोसेसिंग फीस प्रति आवेदन पत्र ली जाती है, जो राज्य द्वारा एकान्तिक विशेषाधिकार के हस्तान्तरण के बदले ली जाने वाली प्रतिफल फीस का अंश है। वर्ष 2010-11 में प्रोसेसिंग फीस रु0 3000/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2011-12 के लिए रु0 5000/- प्रति आवेदन पत्र किये जाने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश सं0 3174 ई-2/तेरह- 2010-141/2007 दिनांक 03 फरवरी, 2011 के अनुसार आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट भी देय है। अतः वर्ष 2011-12 से उक्त प्रोसेसिंग फीस पर तत्समय निर्धारित दर पर वैट तथा नियमानुसार देय अन्य करों की वसूली भी अतिरिक्त रुप से की जाए।

देशी शराब की दुकानों का वर्ष 2010-11 में नवीनीकरण किया गया था। वर्ष 2011-12 व 2012-13 में नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2010-11 में तत्समय निकायवार लिया गया नवीनीकरण शुल्क तथा वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित नवीनीकरण शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

कमांक	निकाय	वर्ष 2010-11 हेतु निर्धारित (रुपये में)	वर्ष 2011-12 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)	वर्ष 2012-13 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान	35,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	20,000 प्रति दुकान	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000 प्रति दुकान	18,000 प्रति दुकान	21,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	10,000 प्रति दुकान	12,000 प्रति दुकान	14,000 प्रति दुकान

(ख) देशी शराब का एम.जी.क्यू.:-

वर्ष 2011-12 में देशी शराब की दुकानों के सुगम एवं समयान्तर्गत व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2010-11 के व्यवस्थित एम.जी.क्यू 23.44 करोड़ ब0ली0 पर 01 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा वर्ष 2012-13 के व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 में 6 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) देशी शराब की बेसिक लाइसेंस फीसः–

देशी शराब की बेसिक लाइसेंस फीस वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2012–13 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस में रु0 1 प्रति लीटर की वृद्धि करते हुए रु0 22 प्रति लीटर निर्धारित किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

(घ) देशी शराब की लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस):–

वर्ष 2011–12 के लिए प्रतिफल फीस में रु0 27 प्रति बल्क लीटर की वृद्धि करते हुए रु0 157 प्रति बल्क लीटर रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2012–13 हेतु देशी शराब की प्रतिफल फीस में मात्र रु0 2 प्रति बल्क लीटर की वृद्धि करते हुए रु0 159 प्रति बल्क लीटर प्रतिफल फीस रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(च) आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में देशी शराब की दुकानों का व्यवस्थापनः–

(i) देशी शराब की दुकानों का वर्ष 2011–12 हेतु व्यवस्थापनः–

देशी शराब की वर्ष 2010–11 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2011–12 हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किया जायेगाः–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2010–11 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– वर्ष 2010–11 के जनपद के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. (जिसमें 1 अप्रैल के बाद व्यवस्थित दुकानों के एम.जी.क्यू. में व्ययगत अवधि के एम.जी.क्यू. के बराबर कम किये गये एम.जी.क्यू. को जोड़ते हुए वार्षिक एम.जी.क्यू. सम्मिलित होगा) में 01 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2011–12 के लिए जनपद का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जायेगा। इस वृद्धि से जनित एम.जी.क्यू. को नवसृजित दुकानों पर नियमानुसार निर्धारित मात्रा में समायोजित करने के बाद यदि एम.जी.क्यू. अवशेष बचता है, तो उसको जनपद की पूर्व से संचालित हो रही दुकानों के एम.जी.क्यू. में समानुपातिक वृद्धि करते हुए समस्त दुकानों पर विभाजित किया जायेगा। यदि किसी जनपद में उपरोक्त वृद्धि से जनित एम.जी.क्यू., नवसृजित की जा रही दुकानों के लिए नियमानुसार निर्धारित हो रहे एम.जी.क्यू. से कम होगा, तो ऐसे जनपद का एम.जी.क्यू. नवसृजित दुकानों के एम.जी.क्यू. की सीमा तक बढ़ा कर निर्धारित किया जा सकेगा, भले ही जनपद के वर्ष 2010–11 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. में 01 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हो जाय।

उपरोक्तानुसार वर्ष 2011–12 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. को दुकानवार/क्षेत्रवार, आबकारी निरीक्षकों द्वारा, दुकानवार/क्षेत्रवार/जिलेवार, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण के उपरान्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।"

5– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित एम.जी.क्यू. पर विज्ञापन देकर, आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान हेतु एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का

आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित एम.जी.क्यू. पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांग कर सार्वजनिक लाटरी से कराया जायेगा।

6– वर्ष 2010–11 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2010–11 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2010–11 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. से कम का आफर स्वीकार नहीं होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(छ) विशिष्ट मेरठ जोन में देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापनः–

(1) विशिष्ट मेरठ जोन की देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन प्रस्तर 4(1) व 4(2) (च) (i) के उप प्रस्तर–4 में वर्णित प्रकिया के अनुरुप एम.जी.क्यू. निर्धारित करके कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) चयनित अनुज्ञापी द्वारा विशिष्ट मेरठ जोन की देशी शराब की फुटकर बिक्री की वर्ष 2010–11 में संचालित समस्त दुकानों एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं निर्धारित प्रतिभूति के आधार पर कराना होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन न कराने की दशा में मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(ज) देशी शराब की दुकानों का वर्ष 2012–13 हेतु व्यवस्थापनः–

देशी शराब की फुटकर बिक्री की वर्ष 2011–12 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण वर्ष 2012–13 में निम्न प्रतिबंधों के साथ कराया जायेगाः–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2011–12 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– वर्ष 2011–12 के जनपद के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. (जिसमें 1 अप्रैल के बाद व्यवस्थित दुकानों के एम.जी.क्यू. में व्ययगत अवधि के एम.जी.क्यू. के बराबर कम किये गये एम.जी.क्यू. को जोड़ते हुए वार्षिक एम.जी.क्यू. सम्मिलित होगा) में 6 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2012–13 के लिए जनपद का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जायेगा। इस वृद्धि से जनित एम.जी.क्यू. को नवसृजित दुकानों पर नियमानुसार निर्धारित मात्रा में समायोजित करने के बाद यदि एम.जी.क्यू. अवशेष बचता है, तो उसको जनपद की पूर्व से संचालित हो रही दुकानों के एम.जी.क्यू. में समानुपातिक वृद्धि करते हुए समस्त दुकानों पर विभाजित किया जायेगा। यदि किसी जनपद में उपरोक्त वृद्धि से जनित एम.जी.क्यू. नवसृजित की जा रही दुकानों के लिए नियमानुसार निर्धारित हो रहे एम.जी.क्यू. से कम होगा, तो ऐसे जनपद का एम.जी.क्यू. नवसृजित दुकानों के एम.जी.क्यू. की सीमा तक बढ़ा कर निर्धारित किया जा सकेगा, भले ही जनपद के वर्ष 2011–12 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. में 6 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हो जाये। उपरोक्तानुसार वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. को दुकानवार/ क्षेत्रवार, आबकारी निरीक्षकों द्वारा, दुकानवार/ क्षेत्रवार/जिलेवार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण के

उपरान्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

5— उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2012—13 के लिए निर्धारित एम.जी.क्यू. पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान हेतु एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित एम.जी.क्यू. पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी से कराया जायेगा।

6— वर्ष 2011—12 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2011—12 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2011—12 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. से कम का आफर स्वीकार नहीं होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

7— विशिष्ट मेरठ जोन के वर्ष 2011—12 के अनुज्ञापी को जोन की समस्त देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2012—13 हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित नवीनीकरण फीस, बेसिक लाइसेंस फीस, प्रतिभूति एवं एम.जी.क्यू. पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन व नवीनीकरण न कराने की दशा में विशिष्ट मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(झ) देशी शराब की श्रेणियां, गुणवत्ता एवं मूल्य निर्धारणः—

वर्ष 2010—11 में देशी शराब की तीव्रता के आधार पर निम्नानुसार तीन श्रेणियां प्रचलित हैः—

1— 25 प्रतिशत वी/वी (सादा व मसाला)
2— 36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)
3— 42.8 प्रतिशत वी/वी (मसाला)

मदिरा उपभोग के वर्तमान रुझान एवं राजस्व हित में वर्ष 2011—12 हेतु देशी शराब की तीव्रता की निम्नलिखित श्रेणियां निर्धारित की जाती हैं:—

1— 28 प्रतिशत वी/वी (सादा/मसाला)
2— 36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)

गत वर्ष की भांति आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की स्वीकृति से, भिन्न—भिन्न रंगों के कैप्सूल व लेबुलों के बार्डर, निर्धारित प्रतिबंधों के साथ बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2010—11 की भांति वर्ष 2011—12 हेतु प्रदेश में केवल ई0एन0ए0 से निर्मित देशी मदिरा का विक्रय अनुमन्य किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2011—12 हेतु उपरोक्तानुसार प्रस्तावित देशी शराब की श्रेणियॉ 28 प्रतिशत वी/वी (सादा/मसाला) एवं 36 प्रतिशत वी/वी (मसाला) एवं भिन्न—भिन्न रंगों के कैप्सूल व लेबुलों के बार्डर के निर्धारित

प्रतिबंधों के साथ वर्ष 2012–13 हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2012–13 में वर्ष 2011–12 की भांति केवल ई0एन0ए0 से निर्मित देशी मदिरा का विक्रय अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त श्रेणियों के अधिकतम थोक व फुटकर विक्रय मूल्य संलग्नक–1 के अनुसार निर्धारित किया जाय।

(अ) देशी शराब की बोतलों की धारिता:–

वर्ष 2010–11 में पांच धारिताओं यथा 140, 180, 240, 525 तथा 1100 एम.एल. की बोतलों के प्रचलन को समाप्त कर उक्त के स्थान पर वर्ष 2011–12 में केवल 04 यथा 100, 200, 375 व 750 एम.एल. की धारिता की बोतलों में देशी मदिरा का विक्रय अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2011–12 के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित देशी शराब की बोतलों की धारिता 100, 200, 375 व 750 एम.एल. में विक्रय वर्ष 2012–13 हेतु भी अनुमन्य रहेगा।

(ब) देशी शराब की दुकानों का सृजन:–

गत वर्ष के शासनादेश के अनुसार 15 प्रतिशत नई दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को प्रदत्त था। 15 प्रतिशत से अधिक की आवश्यकता होने पर शासन की स्वीकृति से दुकानों का सृजन किये जाने की व्यवस्था रही है। वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 में भी उक्त व्यवस्था को यथावत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु नवसृजित देशी शराब की दुकानों का एम.जी.क्यू. निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा:–

क्रम सं0	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2010–11 में निर्धारित एम.जी. क्यू. ब0ली0 में	वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित एम.जी. क्यू. ब0ली0 में	वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित एम.जी. क्यू. ब0ली0 में
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	17000	17000	17000
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	12000	12000	12000
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	7000	7000	7000
4	ग्रामीण	3500	3500	3500

देशी शराब की समस्त दुकानों (नवसृजित दुकानों सहित) की प्रांस्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(स) देशी शराब की थोक आपूर्ति:–

वर्ष 2011–12 में देशी मदिरा की आपूर्ति को अपेक्षाकृत सुगम एवं सुचारु बनाने के दृष्टिगत प्रत्येक जोन में सी0एल0–1बी अनुज्ञापनों की संख्या 01 से अधिक रखा जाना होगा। इस प्रकार चयनित सी0एल0–1बी अनुज्ञापियों द्वारा जोन के समस्त जनपदों में अनिवार्य रुप से सी0एल0–1सी अनुज्ञापनों को प्राप्त किये जाने की

पूर्व प्रचलित व्यवस्था यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। सी0एल0–1बी अनुज्ञापनों की अर्हताएं निम्नानुसार होंगी:–

1– 21 वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति, जो भारत का नागरिक हो, रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म या कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी ही अर्ह होगी। कन्सोंशियम अर्ह नहीं होंगे। पंजीकृत कम्पनी की स्थिति में आर्टिकिल आफ एसोसियेशन, मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन एवं सर्टीफिकेट आफ इनकारपारेशन प्रस्तुत करना होगा। रजिस्टर्ड भागीदारी कम्पनी की स्थिति में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। किसी व्यक्ति होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा।

2– इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यापार में निहित धनराशि के दृष्टिगत राजस्व सुरक्षा की दृष्टि से आवेदक की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः ऐसे आवेदक का शराब के थोक व्यवसाय में वर्ष 2008–09, 2009–10 या 2010–11 में से किसी एक वित्तीय वर्ष में रु0 400 करोड़ का न्यूनतम टर्नओवर होना चाहिए। टर्नओवर के प्रमाण के रुप में चार्टड एकाउन्टेन्ट एवं राज्य अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र के आबकारी अथवा वाणिज्यकर विभागों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

3– शराब के थोक व्यवसाय में अनुज्ञापी के रुप में अनुभव हो, आबकारी राजस्व के बकायेदार न हों एवं लाइसेंस धारण हेतु अन्यथा अनुपयुक्त न हो।

4– आवेदक प्रत्येक जोन के सी0एल0–1बी अनुज्ञापन के लिये पृथक–पृथक आवेदन करने हेतु स्वतंत्र होगा।

5– आबकारी आयुक्त को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

6– चार्टड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित बैलेंस शीट प्रस्तुत करनी होगी।

7– ऐसा आवेदक अल्कोहल उत्पादक/मदिरा का निर्माता नहीं होना चाहिए।

8– आवेदक को पैन नं0 प्रस्तुत करना होगा।

9– इस अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क रु0 9 करोड़ तथा प्रतिभूति धनराशि रु0 90 लाख बैंक ड्राफ्ट के रुप देय में होगा।

10– उपरोक्त अनुज्ञापन शुल्क निम्नानुसार जमा किया जायेगा:–

रु0 3.00 करोड़	आवेदन स्वीकृति के समय
रु0 3.00 करोड़	दिनांक 30.06.11 तक
रु0 3.00 करोड़	दिनांक 30.09.11 तक

11– उपरोक्त प्रतिभूति धनराशि नियमों में निर्धारित समय सीमान्तर्गत जमा करनी होगी।

12– अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस रु0 2.50 लाख होगी। धरोहर धनराशि रु0 50.00 लाख होगी, जो आवेदक के अनुज्ञापी के रुप में चयनित हो जाने की दशा में लाइसेंस फीस में समायोजनीय होगी।

सी0एल0–1बी अनुज्ञापन –

सी0एल0–1बी अनुज्ञापन के वर्ष 2011–12 के व्यवस्थापन हेतु आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर समुचित प्रचार प्रसार कराते हुऐ व्यवस्थापन कराया जायेगा। वर्ष 2011–12 हेतु व्यवस्थित प्रदेश के समस्त सी0एल0–1बी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण वर्ष 2012–13 के लिये कराया जाना होगा। वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लिये सी0एल–1बी व सी0एल0–1सी0 अनुज्ञापनों की देयताएं निम्नानुसार होंगी:–

(क) सी0एल0–1बी अनुज्ञापन हेतु प्रति अनुज्ञापन देयताएं :–

वर्ष 2011–12 के लिये:–

प्रोसेसिंग फीस	—	रु0 2.50 लाख
प्रतिभूति धनराशि	—	रु0 90 लाख
लाइसेंस फीस	—	रु0 9.00 करोड़ प्रति अनुज्ञापन। इस लाइसेंस फीस की अदायगी निम्नानुसार कराया जाना प्रस्तावित है:–

आवेदन के समय	—	रु0 3.00 करोड़
दिनांक 30.06.11 तक	—	रु0 3.00 करोड़
दिनांक 30.09.11 तक	—	रु0 3.00 करोड़

वर्ष 2012–13 के लिये :–

नवीनीकरण फीस	रु0 3.00 लाख
प्रतिभूति धनराशि	रु0 95 लाख
लाइसेंस फीस	रु0 9.50 करोड़ प्रति अनुज्ञापन। इस लाइसेंस फीस की अदायगी निम्नानुसार कराया जाना प्रस्तावित है:–

आवेदन के समय	रु0 3.50 करोड़
दिनांक 30.06.12 तक	रु0 3.00 करोड़
दिनांक 30.09.12 तक	रु0 3.00 करोड़

वर्ष 2011–12 के सी0एल0–1बी अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2012–13 हेतु अनुज्ञापन का नवीनीकरण/व्यवस्थापन न कराये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुज्ञापन का पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा।

(ख) **सी0एल0–1सी अनुज्ञापन:–**

वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु देयताएं निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:–

सी0एल0–1 बी अनुज्ञापी को पूर्व की भांति प्रदेश के प्रत्येक जनपद में वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु सी0एल0–1सी अनुज्ञापन निम्नानुसार देय फीस/प्रतिभूति पर प्राप्त करना/ नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा:–

वर्ष 2011–12 हेतु देयताएं

प्रोसेसिंग फीस	रु0 12000 प्रति अनुज्ञापन
लाइसेंस फीस	रु0 1.25 लाख प्रति अनुज्ञापन
प्रतिभूति धनराशि	रु0 12500 प्रति अनुज्ञापन

वर्ष 2012–13 हेतु देयताएं

नवीनीकरण फीस	रु0 12000 प्रति अनुज्ञापन
लाइसेंस फीस	रु0 1.35 लाख प्रति अनुज्ञापन
प्रतिभूति धनराशि	रु0 13500 प्रति अनुज्ञापन

वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी सी0एल0–1सी अनुज्ञापी प्रदेश की विभिन्न अनुज्ञाधारी देशी मदिरा निर्माता आसवनियों से सीधे मदिरा प्राप्त करेगा। प्रदेश की आसवनियों से मदिरा प्राप्ति में कठिनाई की स्थिति में सी0एल0–1सी अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की विशेष अनुमति से राज्य के बाहर की आसवनियों से देशी मदिरा आयात कर सकेगा। प्रदेश में आयात की जाने वाली ऐसी मदिरा पर आयातकर्ता अनुज्ञाधारी द्वारा वर्ष 2010–11 की भाँति द्वारा प्रतिफल फीस का अग्रिम भुगतान कर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के कार्यालय में स्थित सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक इकाई से सुरक्षा होलोग्राम प्राप्त करके संबंधित आसवनी ले जाकर वर्ष 2011–12 में भी बोतलों पर चस्पा कराया जायेगा। इस प्रकार सुरक्षा होलोग्राम युक्त मदिरा का ही आयात वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में प्रदेश में अनुमन्य किया जायेगा।

(ग) <u>देशी शराब के ब्रान्डों की रजिस्ट्रेशन फीसः–</u>

देशी शराब के ब्रान्डों की रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2010–11 हेतु देय रु0 10000/– प्रति ब्राण्ड से बढ़ाकर वर्ष 2011–12 हेतु रु0 15000 प्रति ब्राण्ड रखे जाने का निर्णय लिया गया है। यही बढ़ी हुई फीस वर्ष 2012–13 हेतु भी यथावत प्रभावी रहेगी।

(ट) <u>देशी शराब के लेबुलों का अनुमोदनः–</u>

देशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर वर्ष 2010–11 की भाँति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी बैच नम्बर व निर्माण की तिथि एवं आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अन्य लीजेण्ड अंकित करना अनिवार्य होगा। लेबुलों के अनुमोदन हेतु वर्ष 2010–11 में देय लेबुल अनुमोदन फीस रु0 10000/– प्रति लेबुल से बढ़ाकर वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु रु0 15000/– प्रति लेबुल रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2010–11 में देशी शराब के लेबुलों पर विक्रय के जोन का नाम अंकित नहीं किये जाने की व्यवस्था है। इसे वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में भी यथावत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(ठ) <u>देशी शराब निर्यात पास फीसः–</u>

देशी मदिरा की निर्यात पास फीस को वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लिये भी यथावत् रु0 10/– प्रति ए0एल0 निर्धारित किया गया है।

(ड) <u>देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः–</u>

वर्ष 2010–11 में देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) दुकान की निर्धारित वार्षिक प्रतिफल फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 में भी वर्ष 2010–11 की भांति दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जाना है। ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कराने के बाद वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जाय। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(ढ) <u>देशी शराब की आपूर्तिः–</u>

वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में देशी मदिरा की आपूर्ति सभी निर्धारित धारिताओं में बाजार की मांग के अनुसार कांच/पेट बोतलों में की जायेगी।

4-(3) विदेशी मदिरा :-

(1) विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की वर्ष 2011-12 हेतु लाइसेंस फीस :-

वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 में भी प्रति बोतल लाइसेंस फीस के अधिभार के आधार पर विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस निर्धारित करने की व्यवस्था को यथावत रखा जाय। इस हेतु व्यवस्थापन की प्रकिया प्रारम्भ होने तक आयुक्तालय में उपलब्ध अंतिम मास के उपभोग के आंकड़ों के आधार पर गत वर्ष की भांति लाइसेंस फीस निर्धारित की जाय। वर्ष 2010-11 में रूपये 26 प्रति बोतल अधिभार निर्धारित था। वर्ष 2011-12 हेतु विदेशी मदिरा पर अधिभार रु0 30 प्रति बोतल रखा गया है। किसी भी विदेशी मदिरा दुकान के अंतिम व्ययगत मास तक के उपभोग के आधार पर अनुमानित वार्षिक उपभोग को उपरोक्तानुसार निर्धारित अधिभार से गुणा करके आगणित हो रही धनराशि अथवा वर्ष 2010-11 की लाइसेंस फीस में से जो भी अधिक हो, को वर्ष 2011-12 के लिए संदर्भगत दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है। परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि किसी भी विदेशी मदिरा की दुकान की अधिकतम लाइसेंस फीस रु0 40 लाख से अधिक निर्धारित नहीं होगी।

विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की वर्ष 2012-13 हेतु लाइसेंस फीस :-

विदेशी मदिरा दुकान के लिए उपरोक्तानुसार वर्ष 2011-12 हेतु प्रस्तावित अधिभार रु0 30 प्रति बोतल में वृद्वि करते हुए वर्ष 2012-13 हेतु रु0 32 प्रति बोतल अधिभार रखा जायेगा। किसी भी विदेशी मदिरा दुकान के उपभोग को उपरोक्तानुसार निर्धारित अधिभार से गुणा करके आगणित हो रही धनराशि अथवा वर्ष 2011-12 की लाइसेंस फीस में से जो भी अधिक हो, को वर्ष 2012-13 के लिए संदर्भगत दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि किसी भी विदेशी मदिरा की दुकान की अधिकतम लाइसेंस फीस रु0 40 लाख से अधिक निर्धारित नहीं होगी।

(2) आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :-

(क) विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2011-12 हेतु व्यवस्थापनः-

विदेशी मदिरा की वर्ष 2010-11 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1- अन्तिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2- वर्ष 2010-11 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3- वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4- उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर, आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी से कराया जायेगा।

5- वर्ष 2010-11 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2010-11 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर

कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2010–11 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

6– **विशिष्ट मेरठ जोन में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापनः–**

6.1 विशिष्ट मेरठ जोन की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन प्रस्तर 4(1) के अनुसार प्रस्तर 4(3)1 में वार्णित प्रकिया के अनुरुप कराया जाय।

6.2 चयनित अनुज्ञापी द्वारा विशिष्ट मेरठ जोन की विदेशी मदिरा की वर्ष 2010–11 में संचालित समस्त फुटकर बिक्री की दुकानों एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2011–12 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर कराना होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन न कराने की दशा में मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(ख) **विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2012–13 हेतु व्यवस्थापनः–**

विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की वर्ष 2011–12 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण वर्ष 2012–13 हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2011–12 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर, आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी से कराया जायेगा।

5– वर्ष 2011–12 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2011–12 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2011–12 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

6– मेरठ जोन के वर्ष 2011–12 के अनुज्ञापी को जोन की विदेशी मदिरा की समस्त फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि के आधार पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन न कराने की दशा में मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर

की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(3) **विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस व नवीनीकरण शुल्क :–**

वर्ष 2010–11 में प्रोसेसिंग फीस रु0 3000/– प्रति आवेदन पत्र निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2011–12 के लिए रु0 5000/– प्रति आवेदन पत्र किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2011–12 से उक्त प्रोसेसिंग फीस पर तत्समय निर्धारित दर पर वैट तथा नियमानुसार देय अन्य करों की वसूली भी अतिरिक्त रुप से देय होगी।

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिए निकायवार निर्धारित नवीनीकरण शुल्क निम्नानुसार है:–

कमांक	निकाय	वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित (रुपये में)	वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)	वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000 प्रति दुकान	40,000 प्रति दुकान	45,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान	35,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	17,500 प्रति दुकान	20,000 प्रति दुकान	22,500 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	8,000 प्रति दुकान	10,000 प्रति दुकान	12,000 प्रति दुकान

(4) **विदेशी मदिरा की दुकानों का सृजन:–**

वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को 15 प्रतिशत दुकानों के सृजन का अधिकार होगा तथा 15 प्रतिशत से अधिक होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जायेगा।

वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लिए, वर्ष 2010–11 की भांति नवसृजित दुकानों की लाइसेंस फीस निम्नानुसार रखी गई है:–

कम सं0	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस	वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम लाइसेंस फीस	वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम लाइसेंस फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	6,40,000/–	6,40,000/–	6,40,000/–
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	2,15,000/–	2,15,000/–	2,15,000/–
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	1,00,000/–	1,00,000/–	1,00,000/–
4	ग्रामीण	50,000/–	50,000/–	50,000/–

विदेशी मदिरा की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) **विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीस:–**

वर्ष 2010–11 में विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 में भी वर्ष 2010–11 की भांति दैनिक व्यवस्थापन की व्यवस्था को बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु ऐसी

दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कराने के बाद वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर सम्पन्न कराया जाय। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(6) **विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीसः–**

(क) **वर्ष 2011–12 हेतु प्रतिफल फीसः–**

गत वर्षो में प्रचलित रही सस्ती और मीडियम बीटा श्रेणियों को एक में समाहित करके एक नई श्रेणी **"इकोनोमी श्रेणी"** के रुप में बनाया गया है। मीडियम बीटा श्रेणी को इकोनोमी श्रेणी के रुप में समाहित किये जाने के फलस्वरूपा मीडियम अल्फा श्रेणी को केवल **मीडियम श्रेणी** के रुप में बनाये रखा जाय। विदेशी मदिरा की एक्स आसवनी मूल्य की मीडियम श्रेणी से सेमी प्रीमियम अल्फा तक की श्रेणियों में रु0 2 की वृद्धि करते हुये वर्ष 2011–12 हेतु विदेशी मदिरा की **इकोनोमी श्रेणी** की प्रतिफल फीस में रु0 30 प्रति लीटर की वृद्धि तथा अन्य श्रेणियों में 5 प्रतिशत (5 रु0 के निकटतम गुणक में) की वृद्धि करते हुए विभिन्न श्रेणियां तथा उनके लिये प्रस्तावित प्रतिफल फीस निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–

एक्स आसवनी मूल्य (750 एम.एल. प्रति बोतल) (रु0 में)		श्रेणी		वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित प्रतिफल फीस	
				प्रति लीटर	प्रति बोतल
1.	0 से 30/– तक	इकोनोमी	GGG	200.00	150.00
2.	30/– से अधिक 42/– तक	मीडियम	FFF	210.00	157.50
3.	42/– से अधिक 52/– तक	रेगुलर वीटा	EEB	220.00	165.00
4.	52/– से अधिक 62/– तक	रेगुलर अल्फा	EEA	240.00	180.00
5.	62/– से अधिक 82/– तक	सेमी प्रीमियम बीटा	DDB	275.00	206.25
6.	82/– से अधिक 102/– तक	सेमी प्रीमियम अल्फा	DDA	315.00	236.25
7.	102/– से अधिक 130/– तक	प्रीमियम बीटा	CCB	355.00	266.25
8.	130/–से अधिक 170/– तक	प्रीमियम अल्फा	CCA	400.00	300.00
9.	170/–से अधिक 230/– तक	सुपर प्रीमियम बीटा	BBB	535.00	401.25
10.	230/–से अधिक 290/– तक	सुपर प्रीमियम अल्फा	BBA	555.00	416.25
11.	290/– से अधिक 500/– तक	स्काच बीटा	AAB	670.00	502.50
12.	500/– से अधिक	स्काच अल्फा	AAA	690.00	517.50

(ख) **वर्ष 2012–13 हेतु प्रतिफल फीसः–**

वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित श्रेणियों में 15 प्रतिशत (5 रु0 के निकटतम गुणक में) की वृद्धि करते हुए निम्नानुसार प्रतिफल फीस निर्धारित की जायेगीः–

एक्स आसवनी मूल्य (750 एम.एल. प्रति बोतल) (रु0 में)		श्रेणी		वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित प्रतिफल फीस	
				प्रति लीटर	प्रति बोतल
1.	0 से 30/– तक	इकोनोमी	GGG	230.00	172.50
2.	30/– से अधिक 42/– तक	मीडियम	FFF	240.00	180.00

3.	42/– से अधिक 52/– तक	रेगुलर बीटा	EEB	255.00	191.25
4.	52/– से अधिक 62/– तक	रेगुलर अल्फा	EEA	275.00	206.25
5.	62/– से अधिक 82/– तक	सेमी प्रीमियम बीटा	DDB	315.00	236.25
6.	82/– से अधिक 102/– तक	सेमी प्रीमियम अल्फा	DDA	360.00	270.00
7.	102/– से अधिक 130/– तक	प्रीमियम बीटा	CCB	410.00	307.50
8.	130/–से अधिक 170/– तक	प्रीमियम अल्फा	CCA	460.00	345.00
9.	170/–से अधिक 230/– तक	सुपर प्रीमियम बीटा	BBB	615.00	461.25
10.	230/–से अधिक 290/– तक	सुपर प्रीमियम अल्फा	BBA	640.00	480.00
11.	290/– से अधिक 500/– तक	स्काच बीटा	AAB	770.00	577.50
12.	500/– से अधिक	स्काच अल्फा	AAA	795.00	596.25

(7) विदेशी मदिरा की एम0आर0पी0 :–

वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी बोतल, लेबुल व पी.पी.कैप के मूल्यों का अधिभार बोतल के सापेक्ष छोटी धारिताओं में अधिक पड़ने के दृष्टिगत, 375 एम0एल0 की धारिता में रु0 3 तथा अन्य धारिताओं यथा 180 एम0एल0, 90 एम0एल0 व 60एम0एल0 के मूल्य निर्धारण में रु0 5, बोतल (750 एम0एल0) की एम.आर.पी. निर्धारण के लिए प्रस्तावित एक्स आसवनी मूल्य में बढ़ाकर लिया जाय।

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2004–05 से प्रचलित विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य को राउन्ड आफ करते हुए 5 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित कर अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रुप में, वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु भी यथावत लिया जायेगा।

(8) विदेशी शराब की थोक आपूर्ति:–

(क) वर्ष 2010–11 की भांति, वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी विदेशी मदिरा (बीयर, वाइन, एल0ए0बी0 सहित) की थोक आपूर्ति एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों के माध्यम से कराया जायेगा तथा अनुज्ञापन शुल्क भी गतवर्ष की भांति जनपद में विदेशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

क्रम संख्या	जनपद में वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2011–12 में फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या	लाइसेन्स फीस (रूपये में)
1	7,00,000 बोतलों तक	5.00 लाख
2	7,00,000 से 15,00,000 बोतल तक	10.00 लाख
3	15,00,000 से 25,00,000 लाख बोतल तक	20.00 लाख
4	25,00,000 से 30,00,000 बोतल तक	30.00 लाख
5	30,00,000 बोतल से अधिक	40.00 लाख

उपरोक्तानुसार उपभोग का आगणन मुख्यालय में उपलब्ध अन्तिम मास तक के उपभोग विवरण के आधार पर किया जाएगा।

(ख) विदेशी मदिरा का ई0एन0ए0 से निर्माण.–

गत वर्ष की आबकारी नीति में विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण ई0एन0ए0 से करने की व्यवस्था प्रभावी की गयी थी । इस व्यवस्था को वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी प्रचलित रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) <u>एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्कः–</u>

वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु बीयर की थोक आपूर्ति एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों के माध्यम से भी कराये जाने तथा इसका अनुज्ञापन शुल्क भी वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में रू0 5.00 लाख यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(घ) <u>एफ0एल0–2डी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्कः–</u>

समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा का व्यवसाय अभी शैशवकाल में है। अतः इस क्षेत्र में प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए अनुज्ञापन शुल्क में वृद्धि किया जाना राजस्व हित में नहीं होगा। अतः वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में इसका अनुज्ञापन शुल्क यथावत् रू0 50,000 ही रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(9) <u>सी0एस0डी0 को आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा की लाइसेंस फीस एवं प्रतिफल फीस :–</u>

सी0एस0डी0 को आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा पर लाइसेंस फीस एंव प्रतिफल फीस की दर गतवर्ष की भांति सिविल में अनुमन्य लाइसेंस फीस एवं प्रतिफल फीस की आधी दर से आरोपण की व्यवस्था को वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लिये प्रचलित रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(10) <u>भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–</u>

(क) <u>वर्ष 2011–12 हेतु ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–</u>

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस को वर्ष 2010–11 में निर्धारित रू0 35,000/– प्रति ब्राण्ड से बढ़ाकर वर्ष 2011–12 हेतु रु0 40000/– प्रति ब्राण्ड निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा है कि यदि कोई निर्माता अपने ब्राण्ड का पंजीयन वर्ष 2011–12 में वर्ष 2010–11 के सापेक्ष निम्न श्रेणी में कराता है, जिससे वर्ष 2010–11 के सापेक्ष प्रतिफल फीस कम निर्धारित होती है, तो पूर्व वर्ष व चलित वर्ष के पंजीकरण श्रेणी की प्रतिफल फीस, जो भी अधिक होगी, देय होगी।

(ख) <u>वर्ष 2012–13 हेतु ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–</u>

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2011–12 हेतु रू0 40,000/– प्रति ब्राण्ड निर्धारित की गई है। वर्ष 2012–13 में भी ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस की उक्त दर को यथावत रखा जायेगा। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा है कि यदि कोई निर्माता अपने ब्राण्ड का पंजीयन वर्ष 2012–13 में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष निम्न श्रेणी में कराता है, जिससे वर्ष 2011–12 की अपेक्षा प्रतिफल फीस कम निर्धारित होती है, तो पूर्व वर्ष व चलित वर्ष के पंजीकरण श्रेणी की प्रतिफल फीस, जिसमें प्रतिफल फीस अधिक होगी, देय होगी।

(11) <u>अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–</u>

वर्ष 2010–11 में आयातित विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस प्रति ब्राण्ड रु0 20000/– निर्धारित है। वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु इसे यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(12) <u>अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर एम0आर0पी0 अंकित किये जाने का प्राविधान :–</u>

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु भी एम0आर0पी0 अंकित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

(13) विदेशी मदिरा का सी0एस0डी0 का थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2ए):–

विदेशी मदिरा के एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन (सी0एस0डी0) की लाइसेंस फीस वर्ष 2010–11 में रू0 2500/– निर्धारित है। इसे वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु यथावत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(14) एफ0एल0–1/एफ0एल0–1ए (आसवनी स्तर से विदेशी मदिरा आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन) :–

वर्ष 2010–11 में एफ0एल0–1/एफ0एल0–1ए की लाइसेंस फीस रू 3,50,000/– एवं प्रतिभूति धनराशि रु0 35000/– प्रति अनुज्ञापन निर्धारित है। इसे वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु भी यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(15)बी0डब्लूएफ0एल0–2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस (अन्य प्रान्तों के आसवक/यवासक/द्राक्षासवक एवं एल0ए0बी0 निर्माताओं के लिए) :–

बी0डब्लू0एफ0एल0–2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु यथावत निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

अनुज्ञापन का प्रकार	लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
BWFL-2A	5.00	3.00	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु।
BWFL-2B	3.50	1.00	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की बिक्री हेतु।
BWFL-2C	0.50	0.25	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की बिक्री हेतु।
BWFL-2D	0.25	0.10	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की बिक्री हेतु।

(16) विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीस:–

वर्ष 2010–11 में विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीस रु0 20000/– प्रति लेबुल निर्धारित है। इसे वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु रु0 25000/– प्रति लेबुल किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(17) विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस:–

बोतलों में आयातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस वर्ष 2010–11 में 4/– रूपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। इसे वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 हेतु यथावत् बनाये रखा जाय। विदेशी मदिरा के बल्क में आयात पर (मिलेट्री कैन्टीन या सी0एस0डी0 लाइसेंस धारी को छोड़कर) रु0 3/– प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(18) विदेशी मदिरा की निर्यात फीस (सिविल):–

विदेशी मदिरा पर निर्यात फीस वर्ष 2010–11 में रु0 5/– प्रति बल्क ली0 तथा बोतलों में रु0 2.67/– प्रति ए0एल0 निर्धारित है, जिसे वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(19) विदेशी मदिरा की 90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 की धारिता में आपूर्ति :–

वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु 90 एम0एल0 की धारिता की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री केवल सेमी प्रीमियम अल्फा व उससे ऊपर की श्रेणियों में तथा शीशे की बोतलों के साथ–साथ "सिरोंग पैक" में भी अनुमन्य है। साथ ही वर्ष 2010–11 की भांति सुपर प्रीमियम व स्काच श्रेणियों में 60 एम0एल0 धारिता की बोतलों की बिक्री वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(20) बार /क्लब लाइसेंस :–

गत वर्षों की व्यवस्था को समाप्त कर बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

होटल/रेस्टोरेन्ट बार/ क्लब परमिट	निश्चित फीस प्रणाली (रुपये में)		
(1)	(2)	(3)	(4)
	आगरा के नगर निगम या नगर पालिका परिषद क्षेत्र, जिसमें छावनी बोर्ड और विकास प्राधिकरण यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित है, में स्थित होटल	कानपुर,, इलाहाबाद, वाराणसी, नोयडा, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलन्दशहर, झांसी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के नगर निगम या नगर पालिका, परिषद क्षेत्र में जिसमें छावनी बोर्ड और विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो, के क्षेत्र भी सम्मिलित है, में स्थित होटल	स्तम्भ–2 और 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में स्थित होटल
(क) एफ0एल0–6(समिश्र) कमरों की संख्या के आधार पर होटलों का वर्गीकरण (एक) 30 कमरों तक	500000	500000	400000
(दो) 30 कमरों से अधिक किन्तु 70 से अनाधिक तक	600000	600000	450000
(दो) 70 कमरों से अधिक किन्तु 100 से अनाधिक तक	650000	650000	600000
(तीन) 100 से अधिक कमरे	750000	750000	650000
(ख) एफ0एल0–6क (समिश्र) (चार व पांच सितारा होटल)	1200000	1200000	1100000
(ग) एफ0एल0–7 के लिए	475000	450000	350000
(घ) एफ0एल0–7ख के लिए	150000	150000	100000
(ङ) एफ0एल0–7सी (क्लब बार)			
(एक) 100 सदस्यों तक	125000	125000	125000
(दो) 101 से 500 तक के सदस्यों के लिए	175000	175000	175000
(तीन) 500 से अधिक सदस्यों के लिए	200000	200000	200000

परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि किसी भी बार अनुज्ञापन की वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 की लाइसेंस फीस वर्ष 2010–11 में दी गयी कुल लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी। लाइसेंस फीस की अदायगी के उपरान्त उपरोक्त दोनों बिन्दुओं में वर्णित सुविधाएं होटल के अन्तःवासियों हेतु अनुमन्य होंगी। साथ ही वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी निम्न सुविधाएं अनुमन्य रहेंगीः–

(1) भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा आयातित विदेशी मदिरा की प्रदेश में विक्रय हेतु अनुमन्य ब्राण्डों की 60 एम.एल. की धारिता की बोतलों की होटल के कमरों में उपलब्धता।

(2 ड्राट बीयर एवं बीयर की सभी धारिताओं की बोतलों, केन पैक सहित, उपलब्धता।

(3) वाइन की सभी धारिताओं की बोतलों की उपलब्धता।

(21) <u>बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि :–</u>

वर्ष 2010–11 में सभी बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि प्रत्येक दिनों में 12 बजे दोपहर से रात्रि 12 बजे तक निर्धारित है, साथ ही नगर निगम वाले नगरों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित बारों से एक लाख पच्चीस हजार रुपये अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक बार में उपभोग अनुमन्य है। वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में इसे यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(22) <u>अकेजनल बार लाइसेंस :–</u>

अकेजनल बार लाइसेंस अवैध मदिरा के विक्रय की रोकथाम एवं राजस्व प्राप्ति के एक अच्छे स्रोत के रुप में विकसित हो सकता है। व्यावहारिक अनुभव एवं राजस्व हित में उक्त लाइसेंस फीस की श्रेणियों एवं लाइसेंस फीस में वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु निम्नानुसार परिवर्तन किया गया हैः–

2006–07 से वर्ष 2010–11 तक के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस		**वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लिए प्रस्तावित लाइसेंस फीस**	
(क) लाभ अर्जित न करने वाले क्लबों/संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए	रु0 500/- प्रति दिन	(क) किसी व्यक्ति के अपने घर/निजी स्थान (Private Place) पर आयोजित समारोह के लिए, जिसमें कोई लाभ अर्जन न हो।	रु0 1000/- प्रति दिन
(ख) लाभ अर्जित करने वाले वाणिज्यिक संस्थाओं और होटल आदि के लिए	रु0 3000/- प्रति दिन	(ख) किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल/ रेस्टोरेन्ट/बैंकेट हाल/ रिसोर्टस/फार्म हाउस/बारात घर आदि में गैर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु आयोजित समारोह के लिये प्रदत्त किये जाने वाले अनुज्ञापन हेतु ।	रु0 3000/- प्रति दिन
		(ग) किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल/ रेस्टोरेन्ट/बैंकेट हाल/ रिसोर्टस/फार्म हाउस/बारात घर आदि में वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु आयोजित समारोह के लिये प्रदत्त किये जाने	रु0 4000/- प्रति दिन

		वाले अनुज्ञापन हेतु ।	
		(घ) किसी क्लब, होटल, रेस्टोरेन्ट, बैंकेट हाल, रिसोर्टस, फार्म हाउस, बारात घर, संस्था द्वारा किसी वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु आयोजित समारोह के लिए अनुज्ञापन हेतु।	रु0 5000/- प्रति दिन

(23) अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस :-

(क) वर्ष 2010-11 हेतु अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की परमिट फीस निम्नानुसार निर्धारित है:-

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस
रु0 0 से 500 तक	रु0 640 प्रति लीटर
रु0 500 से अधिक	रु0 660 प्रति लीटर

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच श्रेणी की प्रतिफल फीस में वृद्धि प्रस्तावित होने के कारण समानता के दृष्टिगत अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 में निम्नानुसार परमिट फीस लिये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(ख) वर्ष 2011-12 हेतु परमिट फीस :-

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस
रु0 0 से 500 तक	रु0 670 प्रति लीटर
रु0 500 से अधिक	रु0 690 प्रति लीटर

(ग) वर्ष 2012-13 हेतु परमिट फीस :-

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस
रु0 0 से 500 तक	रु0 770 प्रति लीटर
रु0 500 से अधिक	रु0 795 प्रति लीटर

4(4)- वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय :-

1. भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क :-

वर्ष 2010-11 में वाइन पर आयात शुल्क रु0 3/- प्रति लीटर है। इसे वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

2. भारत निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस :-

वर्ष 2010-11 में वाइन पर प्रतिफल फीस न्यूनतम् रु0 66.66 प्रति लीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो, निर्धारित है। इसे वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

3. **<u>अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस :-</u>**

वर्ष 2010-11 में अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस रू0 66.66 प्रति लीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो, निर्धारित है। इसे वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

4. **<u>अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किया जाना :-</u>**

अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किये जाने का प्राविधान वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

5. **<u>अन्य देशों से आयातित वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः-</u>**

वर्ष 2010-11 में आयातित वाइन पर विदेशी मदिरा की भांति ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन हेतु 20,000/- प्रति ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित है। वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में इसे यथावत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया।

6. **<u>भारतीय वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः-</u>**

भारत निर्मित वाइन की ब्रान्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2010-11 में रू0 5000/- एवं लेबुल अनुमोदन फीस भी रू0 5000/- निर्धारित है। इन्हें वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

7. **<u>वाइन की बिक्री :-</u>**

वाइन की बिक्री वर्ष 2010-11 की ही भॉति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

8. **<u>कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री :-</u>**

वर्ष 2010-11 में सेना के अधिकारियों को एफ0एल0-9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. की अनुमन्य बिक्री को वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

9. **<u>कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः-</u>**

कम तीव्रता के मादक पेय के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन की फीस वर्ष 2010-11 में क्रमशः रू0 3000/- व रू0 5000/- निर्धारित है। वर्ष 2010-11 की भॉति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में इनके ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन फीस को यथावत बनाये रखा गया है।

10. **<u>कम तीव्रता के मादक पेय , ऐल, पोर्ट, साइडर व अन्य फर्मेन्टेड लिकर पर प्रतिफल फीस :-</u>**

उपरोक्त मादकों पर गत वर्षो में बीयर की भांति ही प्रतिफल फीस ली जाती रही है। इस व्यवस्था को वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी यथावत बनाये रखा गया है।

4(5)- <u>बीयर :-</u>

1 **बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों की लाइसेंस फीस:-**

बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों की लाइसेंस फीस वर्ष 2011-12 हेतु:-

वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 में भी प्रति बोतल लाइसेंस फीस के अधिभार के आधार पर बीयर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस निर्धारित करने की व्यवस्था यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु व्यवस्थापन की प्रकिया प्रारम्भ होने तक आयुक्तालय में उपलब्ध अंतिम मास के उपभोग के आंकड़ों के आधार पर गत वर्ष की भांति निर्धारित किया जाय। अप्रैल 2010 से जनवरी 2011 तक के उपभोग 7.26 करोड़ बोतल के आधार पर वर्ष 2010-11 का वार्षिक अनुमानित उपभोग 8.71 करोड़ बोतल के लिए प्रदेश का प्रति बोतल अधिभार रु0 4.43 अथवा राउण्ड आफ करके रु0 4 निर्धारित हो रहा है। वर्ष 2010-11 में रु0 5 प्रति बोतल अधिभार निर्धारित था। वर्ष 2011-12 हेतु बीयर पर अधिभार रु0 6 प्रति बोतल रखे जाने का निर्णय लिया गया है। किसी भी बीयर दुकान के अंतिम व्ययगत मास तक उपभोग के अधार पर अनुमानित वार्षिक उपभोग को उपरोक्तानुसार निर्धारित अधिभार से गुणा करके आगणित हो रही धनराशि अथवा वर्ष 2010-11 की लाइसेंस फीस में से जो अधिक हो, को वर्ष 2011-12 के लिए संदर्भगत दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित किया जायेगा।

बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों की लाइसेंस फीस वर्ष 2012-13 हेतु:-

बीयर दुकान के लिए उपरोक्तानुसार वर्ष 2011-12 हेतु निर्धारित अधिभार रु0 6 प्रति बोतल में वृद्धि करते हुए वर्ष 2012-13 हेतु रु0 7 प्रति बोतल का अधिभार प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया है। किसी भी बीयर दुकान के उपरोक्तानुसार अनुमानित वार्षिक उपभोग को निर्धारित अधिभार से गुणा करके आगणित हो रही धनराशि अथवा वर्ष 2011-12 की लाइसेंस फीस में से जो अधिक हो, को वर्ष-2012-13 के लिए संदर्भगत दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी।

2. **आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों का व्यवस्थापन :-**

(क) वर्ष 2011-12 हेतु

बीयर की फुटकर बिकी की वर्ष 2010-11 में संचालित दुकानों का नवीनीकरण वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1- अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2- वर्ष 2010-11 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3- वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4- उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांग कर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा।

5- वर्ष 2010-11 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2010-11 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2010-11 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

6– **विशिष्ट मेरठ जोन में बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापनः–**

6.1 विशिष्ट मेरठ जोन की बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन प्रस्तर 4–(1) के अनुसार प्रस्तर 4(5)1 में वर्णित व्यवस्था के अनुरुप कराया जायेगा।

6.2 चयनित अनुज्ञापी द्वारा विशिष्ट मेरठ जोन की बीयर की वर्ष 2010–11 में संचालित समस्त फुटकर बिक्री की दुकानों एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2011–12 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर कराना होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन न कराने की दशा में विशिष्ट मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(ख) **बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2012–13 हेतु व्यवस्थापन**

बीयर की फुटकर बिक्री की वर्ष 2011–12 में संचालित दुकानों का नवीनीकरण वर्ष 2012–13 में निम्न प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2011–12 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आंवटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा।

5– वर्ष 2011–12 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2011–12 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2011–12 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

6– विशिष्ट मेरठ जोन के वर्ष 2011–12 के अनुज्ञापी को जोन की बीयर की समस्त फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि के आधार पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन न कराने की दशा में विशिष्ट मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

3. **बीयर की फुटकर दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस व नवीनीकरण शुल्क :–**

बीयर की प्रोसेसिंग फीस वर्ष 2011–12 के लिये रु0 5,000 प्रति आवेदन पत्र निर्धारित की गई है। वर्ष 2012–13 के लिये उक्त प्रासेसिंग फीस में रु0 1000/– की वृद्धि करते हुए रु0 6000/– प्रति आवेदन पत्र ली जायेगी।

वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लिये निकायवार निर्धारित नवीनीकरण शुल्क निम्नवत् है:–

कमांक	निकाय	वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित (रुपये में)	वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)	वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000 प्रति दुकान	40,000 प्रति दुकान	45,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान	35,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	17,500 प्रति दुकान	20,000 प्रति दुकान	22,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	8,000 प्रति दुकान	10,000 प्रति दुकान	11,000 प्रति दुकान

4. **बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों का सृजन:–**

वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी गत वर्ष की भाँति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को 25 प्रतिशत दुकानों के सृजन का अधिकार दिया गया है तथा 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जायेगा।

बीयर की नवसृजित दुकानों के लिए वर्ष 2010–11 की भांति ही वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु निम्नानुसार लाइसेंस फीस का निर्धारित की गई है:–

कम सं0	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस	वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम लाइसेंस फीस	वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम लाइसेंस फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	1,60,000/–	1,60,000/–	1,60,000/–
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	80,000/–	80,000/–	80,000/–
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	40,000/–	40,000/–	40,000/–
4	ग्रामीण	38,000/–	38,000/–	38,000/–

बीयर की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. **बीयर की प्रतिफल फीस:–**

बीयर की प्रतिफल फीस वर्ष 2010–11 में निम्न प्रकार निर्धारित है:–

क्रमांक	बीयर का प्रकार	प्रतिफल फीस (प्रति बोतल)
1	0 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक तीव्रता की माइल्ड बियर	रु0 18.50/– प्रति बोतल(650 एम0एल0) या रु0 28.46 प्रति लीटर

2	5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत तक तीव्रता की स्ट्रांग बियर	रू0 32.00/- प्रति बोतल(650 एम0एल0) या रू0 49.23 प्रति लीटर

वर्ष 2010-11 में बीयर के व्यवसाय में सुधार आया है। इस वृद्धिकारक प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिए प्रतिफल फीस की दरों को वर्ष 2011-12 में भी उपरोक्तानुसार ही बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2012-13 हेतु बीयर की प्रतिफल फीस निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी:-

कमांक	बीयर का प्रकार	प्रतिफल फीस (प्रति बोतल)
1	0 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक तीव्रता की माइल्ड बीयर	रू0 23.50/-प्रति बोतल(650 एम0एल0) या रू0 36.16 प्रति लीटर
2	5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत तक तीव्रता की स्ट्रांग बीयर	रू0 38.00/- प्रति बोतल (650 एम0एल0) या रू0 58.47 प्रति लीटर

6. **बीयर का थोक लाइसेंस :-**

बीयर के थोक आपूर्ति की व्यवस्था वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु प्रस्तर-4(3) के 8(क), (ग) व (घ) के अनुसार रखी जाय।

7 **अन्य देशों से आयातित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :-**

आयातित बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी रू0 10,000/- प्रति ब्राण्ड रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

8. **अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस:-**

वर्ष 2010-11 में अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस की दरें निम्नवत् निर्धारित की गई है:-

(क) 5 प्रतिशत वी/वी तक — रू0 20/- — (650 एम0एल0 प्रति बोतल)

(ख) 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक एवं 8 प्रतिशत वी/वी तक — रू0 35/- — (650 एम0एल0 प्रति बोतल)

आयातित बीयर पर वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी परमिट फीस ली जायेगी।

9. **भारत निर्मित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :-**

भारत निर्मित बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2010-11 हेतु रू0 12000/- प्रति ब्राण्ड निर्धारित है। वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 हेतु इसे बढ़ाकर रू0 15000/- प्रति ब्राण्ड लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

10 **बीयर की एम0आर0पी0 :-**

बीयर की एम0आर0पी0 वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

11 **बीयर व एल0ए0बी0 पर निर्यात शुल्कः–**

वर्ष 2010–11 में बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर निर्यात शुल्क 1/– प्रति ब0ली0 निर्धारित है। इसे वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

12 **बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्कः–**

वर्ष 2010–11 में फ्लेश पाशचुराइजेशन की प्रकिया से निर्मित ड्राट बीयर पर आयात शुल्क रू0 1/– प्रति बल्क लीटर तथा ड्राट बीयर को छोड़कर अन्य बीयर पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क रू0 2 प्रति बल्क लीटर को वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

13. **बीयर के लेबुलों का अनुमोदन :–**

बीयर के लेबुलों की अनुमोदन फीस वर्ष 2010–11 की भॉति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में रू0 5000/– प्रति लेबुल यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

14. **बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः–**

बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है । वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कराने के बाद वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष, जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उसपर सम्पन्न कराया जायेगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

4(6) – माडल शाप

1 माडल शाप की लाइसेंस फीसः–

वर्ष 2010–11 के लिये माडल शाप की लाइसेंस फीस के निर्धारण की निम्न व्यवस्था प्रभावी हैः–

निकाय	लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)
1. महानगरों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	22 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये	1.00 लाख

2. अन्य नगरों के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	8 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 22 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी ।	1.00 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त माडल शाप में मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य करने हेतु रु0 50,000 की फीस निर्धारित हैं।

वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु माडल शाप्स की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

निकाय	लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)
1. नगर निगमों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	25 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये	2.00 लाख
2. अन्य नगरों के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	9 लाख रूपये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, वर्ष या वर्ष के भाग के लिये, परन्तु यह फीस 25 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी ।	1.00 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त माडल शाप्स पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य करने की फीस रु0 50,000 से बढ़ाकर रु0 1,00,000 वर्ष या वर्ष के भाग के लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. <u>आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में माडल शाप्स का व्यवस्थापन:-</u>

(क) <u>वर्ष 2011-12 हेतु माडल शाप्स का व्यवस्थापन:-</u>

वर्ष 2010-11 में संचालित माडल शाप्स का नवीनीकरण वर्ष 2011-12 में निम्न प्रतिबंधों के साथ किया जायेगा:-

1- अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2- वर्ष 2010-11 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3- वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4- उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी माडल शाप्स को वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी माडल शाप पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो माडल शाप्स का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में माडल शाप का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित माडल शाप्स का व्यवस्थापन भी निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांग कर सार्वजनिक लाटरी से कराया जाय।

5- वर्ष 2010-11 में संचालित हो रही माडल शाप्स के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2010-11 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जाना प्रस्तावित है। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2010-11 की लाइसेंस फीस से कम

का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

6– **विशिष्ट मेरठ जोन में माडल शाप्स का व्यवस्थापनः–**

6.1 विशिष्ट मेरठ जोन की माडल शाप्स का व्यवस्थापन प्रस्तर 4(1) के अनुसार प्रस्तर 4(6)1 में वार्णित प्रकिया के अनुरुप कराया जायेगा।

6.2 चयनित अनुज्ञापी द्वारा विशिष्ट मेरठ जोन की वर्ष 2010–11 में संचालित समस्त माडल शाप्स एवं नवसृजित माडल शाप्स का व्यवस्थापन वर्ष 2011–12 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर कराना होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन न कराने की दशा में मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(ख) **वर्ष 2012–13 हेतु माडल शाप्स का व्यवस्थापनः–**

वर्ष 2011–12 में संचालित माडल शाप्स का नवीनीकरण वर्ष 2012–13 में निम्न प्रतिबंधों के साथ किया जायेगाः–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2011–12 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी माडल शाप्स को वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी माडल शाप पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो माडल शाप का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में माडल शाप्स का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित माडल शाप्स का व्यवस्थापन भी निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी से कराया जायेगा।

5– वर्ष 2011–12 में संचालित हो रही माडल शाप्स के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2011–12 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जाना प्रस्तावित है। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2011–12 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

6– विशिष्ट मेरठ जोन के वर्ष 2011–12 के अनुज्ञापी को जोन की समस्त माडल शाप्स के अनुज्ञापन वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि के आधार पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित माडल शाप्स के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। किसी भी माडल शाप्स का व्यवस्थापन न कराने की दशा में विशिष्ट मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

3 माडल शाप्स की प्रोसेसिंग फीस व नवीनीकरण शुल्कः–

वर्ष 2010–11 में प्रोसेंसिंग फीस रू0 5000/– प्रति आवेदन पत्र निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 हेतु रु0 7000/– प्रति आवेदन पत्र किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2011–12 से उक्त प्रोसेसिंग फीस पर तत्समय निर्धारित दर पर वैट तथा नियमानुसार देय अन्य करों की वसूली भी अतिरिक्त रुप से की जायेगी।

वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु माडल शाप्स का नवीनीकरण शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

कमांक	निकाय	वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित दर (रुपये में)	वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)	वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	30,000 प्रति दुकान	35,000 प्रति दुकान	40,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	22,000 प्रति दुकान	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000 प्रति दुकान	17,500 प्रति दुकान	20,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	6,000 प्रति दुकान	8,000 प्रति दुकान	10,000 प्रति दुकान

4 माडल शाप्स का सृजन–

वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी 15 प्रतिशत माडल शाप के सृजन करने का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को प्रदत्त किया गया है एवं 15 प्रतिशत से अधिक आवश्यकता होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जायेगा।

4(7)– भांग :–

1. भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापनः–

भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2010–11 की भॉति उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी किया जायेगा। भांग के लिये निर्धारित एम.जी.क्यू. पर रू0 20/– प्रति किलोग्राम की दर से बेसिक लाइसेंस फीस देय होगी। एम.जी.क्यू. से अतिरिक्त भांग की निकासी उठाये जाने पर रू0 20/– प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिफल फीस देय होगी ।

2. भांग के निर्यात पर निर्यात फीसः–

वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी भांग के निर्यात पर रू0 4/– प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात फीस निर्धारित की गई है।

4(8)– अन्य

(i) मदिरा की पेटियों पर "फार सेल इन यूपी" का मुद्रण :–

सीमावर्ती राज्यों से देशी शराब तथा विदेशी मदिरा की तस्करी एवं अवैध मदिरा की बिक्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदेश में उत्पादित एवं अन्य राज्यों से आयातित देशी एवं विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की सभी छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पटटी में कम से कम एक इंच चौड़े काले रंग के स्पष्ट अक्षरों में **"फार सेल इन यूपी"** मुद्रित (प्रिन्ट) कराया जाना आवश्यक है।

(ii) **धरोहर धनराशिः–**

देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु धरोहर धनराशि उक्त देशी शराब दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस की 10 प्रतिशत होगी। इसी प्रकार विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडलशाप्स के व्यवस्थापन हेतु धरोहर धनराशि उक्त दुकान की लाइसेंस फीस की 10 प्रतिशत होगी। सफल/चयनित आवेदक की धरोहर धनराशि उसके नाम से आवंटित दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि में समायोजनीय होगी। असफल आवेदकों की धरोहर धनराशि नियमानुसार वापसी योग्य होगी।

(iii) **पेट बोतलों व ढक्कनों का विनष्टीकरणः–**

विगत माहों में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा देशी मदिरा की दुकानों एवं माडल शाप्स पर मदिरा के उपभोग के पश्चात् खाली पेट बोतलों को एकत्रित/प्राप्त कर उनमें नकली/जहरीली/अवैध मदिरा भरकर तथा नकली ढक्कन लगाकर अवैध रुप से विक्रय करने की शिकायतें प्राप्त हुई है। इससे जनस्वास्थ्य कुप्रभावित होने एवं राजस्व क्षति की संभावना रहती है। अतः देशी मदिरा की दुकानों तथा माडल शाप पर उपभोग के पश्चात रिक्त हुई पेट बोतलों, अद्धौं, पौवों एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को काटकर/क्रशकर नष्ट करने का दायित्व इन दुकानों के विक्रेताओं/अनुज्ञापियों का होगा।

(iv) **उ0प्र0 आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली 1968 में संशोधन :–**

उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली–1968 के नियम–5(2) में स्थल शब्द का उल्लेख होने, किन्तु नियमावली में स्थल की परिभाषा न होने के कारण रिट याचिका सं0 1043/2010 राकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक खण्डपीठ के न्यायाधीश द्वय द्वारा निर्णय दिनांक 12–11–2010 में अलग–अलग मत व्यक्त किये गये है, जिसमें मा0 न्यायाधीश श्री राजेश कुमार द्वारा स्थल के संबंध में निम्नानुसार अवधारणा की गयी है:–

> "Sub-rule (2) of Rule 5 of Location Rules is applicable where there is change of site in the same area and not the transfer of shop from one area to another area."

यद्यपि प्रकरण वर्तमान में तीसरे जज मा0 मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद के समक्ष सुनवाई में है। इस स्थिति में नियमावली की उल्लिखित विसंगति का निराकरण कर लिया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। अतः स्थल और स्थिति को परिभाषित करते हुए संदर्भित नियमावली में यथावांछित संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(v) **देशी शराब का ई0एन0ए0 से निर्माणः–**

जनस्वास्थ्य व गुणवत्ता पूर्ण देशी मदिरा उपलब्ध कराने की दृष्टि से गत वर्ष की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी देशी शराब का निर्माण केवल ई0एन0ए0 से ही किये जाने का निर्णय लिया गया है। यदि देशी मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा/मिश्रित/औद्योगिक आसवनी से ई0एन0ए0, देशी मदिरा

निर्माण के लिए प्राप्त करेगी, तो ऐसी ई0एन0ए0 (Extra Neutral Alcohol) आपूर्तक इकाई को आपूर्ति की गयी मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा की आपूर्ति ई0एन0ए0 (Extra Neutral Alcohol) प्राप्त करने वाली आसवनी को देय आरक्षित शीरे की मात्रा से समायोजित करके उपलब्ध करायी जायेगी।

(vi) **अन्य राज्यों की मदिरा की प्रदेश में व्यक्तिगत उपभोग हेतु आयात की सीमा –**

विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी मदिरा का आयात, निर्यात तथा परिवहन नियमावली, 1929 की अनुसूची के अन्तर्गत अधिसूचना सं0 192/तेरह–60/ दिनांक अप्रैल 05, 1929 द्वारा किसी "बोनाफाइड यात्री" द्वारा व्यक्तिगत उपभोग हेतु उत्तर प्रदेश में विदेशी मदिरा के आयात हेतु दो बोतल की सीमा निम्नानुसार निर्धारित है:–

(2) A bonafide traveller coming into Uttrar Pradesh may import for his own personal use, Indian-made foreign liquor not exceeding two quart bottles in all. Indian-made foreign liquor may be imported in larger quantities only in accordance with the rules hereinafter following. There is no quantitative limit for transport of Indian-made foreign liquor.

उत्तर प्रदेश आबकारी (मदिरा अभिवहन) नियमावली–2003 की अनुसूची में राज्य से गुजरने वाले बोनाफाइड यात्रियों के लिए विदेशी मदिरा अभिवहन की निम्न सीमा निर्धारित थी:–

मदिरा	मात्रा
देशी शराब (मसाला)	1.5 लीटर प्रत्येक तीव्रता की
देशी शराब (सादा)	1.5 लीटर निर्धारित तीव्रता की
विदेशी मदिरा	03 लीटर निर्धारित तीव्रता की
बीयर	06 लीटर निर्धारित तीव्रता की
वाइन	03 लीटर

राजस्व हित एवं मदिरा की तस्करी रोकने की दृष्टि से प्रदेश में रहने वाले बोनाफाइड यात्रियों के लिए विदेशी मदिरा के व्यक्तिगत उपभोग हेतु आयात की सीमा दो क्वार्ट बोतल के स्थान पर एक क्वार्ट बोतल/एक अद्धा/एक पौवा में से कोई एक इकाई खुली हुई हो, निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रतिबंध प्रदेश में प्रवेश करने वाले निम्न श्रेणी के व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा:–

1– अर्न्तदेशीय यात्रियों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के नियमार्न्तगत अनुमन्य सीमा में लायी गयी अन्य देशों से आयातित (Overseas) मदिरा ।

2– भारतीय सेना एवं भारतीय सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सुसंगत नियमों के अनुसार अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत लायी गयी मदिरा।

(vii) **एफ0एल0–3/एफ0एल0–3ए अनुज्ञापनों का नवीनीकरण शुल्क :–**

प्रदेश की आसवनियों में स्वंय के लिये एवं अन्य आसवनियों के पक्ष में विदेशी मदिरा, कम तीव्रता के मादक पेय, वाइन एवं बीयर की बोतल भराई हेतु क्रमशः एफ0एल0–3 व एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन निर्गत किये जाते है। नये अनुज्ञापन की स्वीकृति की स्थिति में रु0 2 लाख जमा किये जाने और पुराने अनुज्ञापनों के लिए न्यूनतम रु0 2 लाख के अधीन रहते हुए लाइसेंस शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किये जाने की व्यवस्था है। पुराने अनुज्ञापनों के संबंध में 2 लाख रु0 की वसूली उत्तरवर्ती व्यवस्था के आधार पर की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं0 99/2007 मेसर्स केसर इण्टर प्राइजेज बरेली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30–07–2008 द्वारा नियमावली में नवीनीकरण फीस की व्यवस्था न होने के कारण, वसूल किये गये नवीनीकरण शुल्क को वैध नहीं माना गया है। इस दृष्टि से नये एफ0एल0–3 व एफ0एल0–3ए अनुज्ञापनों के

प्रथम बार निर्गत किये जाने पर अर्थात नये लाइसेंस के लिए पूर्व की भांति लाइसेंस फीस रु0 2 लाख प्रति लाइसेंस होगी। इन एफ0एल0-3 व एफ0एल0-3ए अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु नवीनीकरण फीस वर्ष 2011-12 से निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष के माह जनवरी तक प्राप्त वास्तविक बाटलिंग फीस के आधार पर सम्पूर्ण वर्ष की अनुमानित वार्षिक बाटलिंग फीस (जनवरी तक प्राप्त बाटलिंग फीस को 10 से भाग देकर भागफल को 12 से गुणा करने पर)	एफ0एल0-3 एवं एफ0एल0-3ए अनुज्ञापनों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित नवीनीकरण फीस
1	रु0 10000000 तक	रु0 2 लाख
2	रु0 10000001 से रु0 20000000 तक	रु0 4 लाख
3	रु0 20000001 से रु0 30000000 तक	रु0 6 लाख
4	रु0 30000001 से रु0 40000000 तक	रु0 8 लाख
5	रु0 40000001 से अधिक	रु0 10 लाख

नवीनीकरण की यह धनराशि बाटलिंग फीस में समायोजनीय नहीं होगी। यदि वर्षान्त पर वास्तव में प्राप्त बाटलिंग फीस से नवीनीकरण फीस की श्रेणी बढ़ती है, तो बढ़ी हुई श्रेणी के अनुरुप नवीनीकरण फीस संबंधित वर्ष के लिए देय होगी, तथा अन्तर की धनराशि संबंधित वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की अंतिम तारीख से पूर्व राजकोष में जमा करनी होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व निर्धारित बोतल भराई फीस अलग से अग्रिम रुप से सुसंगत नियम की व्यवस्था के अनुसार वसूल की जायेगी।

(viii) प्रदेश की आसवनियों को प्रदेश की ही अन्य आसवनियों में बोतल भराई की सुविधा प्रदान किया जाना:-

वर्ष 2009-10 से अन्य राज्यों की आसवनियों की भांति प्रदेश की आसवनियों को भी प्रदेश की अन्य आसवनियों में बोतल भराई की सुविधा प्रदान की गयी है। इस सुविधा को यथावत बनाये रखा जाय।

(ix) एफ0एल0-3,एफ0एल0-3ए अनुज्ञापनों के लिये अतिकाल फीस की दरों में संशोधन:-

प्रदेश की आसवनियों के अनुज्ञापनों में अतिकाल फीस की दरें पुनरीक्षित हो चुकी है, किन्तु उत्तर प्रदेश बोतल भराई नियमावली-1969 के नियम-7(14) में अतिकाल फीस की दरें पूर्ववत ही है, जिससे एक ही स्थल पर कार्यरत स्टाफ के निर्धारित अवधि के बाहर कार्य करने पर भिन्न-भिन्न दरें प्रभावी होने के कारण विसंगति पूर्ण स्थिति है। इसके निदान के लिये आसवनी के अनुज्ञापनों की पुनरीक्षित अतिकाल फीस की दरों की भांति उत्तर प्रदेश बोतल भराई नियमावली-1969 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत निर्गत एफ0एल0-3 व एफ0एल0-3ए अनुज्ञापनों के लिये नियम-7(14) में निर्धारित अतिकाल फीस की दरों को पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(x) पी0डी0-2 अनुज्ञापनों की प्रतिभूति धनराशि :-

वर्ष 2011-12 से वर्तमान पी0डी0 1/2 अनुज्ञापनों एवं भविष्य में प्रदान किये जाने वाले पी0डी0 1/2 अनुज्ञापनों की प्रतिभूति धनराशि निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:-

क्रम सं0	आसवनी की वार्षिक सकल अधिष्ठापित क्षमता (लाख ब0ली0 में)	देय प्रतिभूति धनराशि (रु0 में)
1	500 तक	20 लाख
2	500 से अधिक –1000 तक	40 लाख
3	1000 से अधिक	60 लाख

प्रतिभूति धनराशि का 75 प्रतिशत भाग "सावधि जमा रसीद" के रुप में, जो आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के पदनाम से प्रतिश्रुत होगा, तथा शेष 25 प्रतिशत भाग राजकीय राजकोष में संबंधित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(xi) देशी मदिरा की थोक आपूर्ति :–

देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों की मांग के अनुसार समय से देशी शराब की आपूर्ति हेतु पी0डी0–1/2 से संबंधित नियमावलियां में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

पेय मदिरा निर्माता पी0डी0–1/2 अनुज्ञाधारक आसवनियां देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों की मांग के अनुसार युक्ति–युक्त समयान्तर्गत, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु बाध्य होंगी।

(xii) मादक पदार्थो के निर्माण, संचय और विक्रय के अनुज्ञापित परिसरों में प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार :–

यू0पी0एक्साइज एक्ट 1910 की धारा–48 के अन्तर्गत शासन की विज्ञप्ति सं0 1099 ई–2/तेरह–239–88 दिनांक अप्रैल 01, 1993 द्वारा आबकारी और पुलिस विभाग के निम्न अधिकारियों को मादक पदार्थो के निर्माण, संचय और विक्रय के अनुज्ञापित परिसरों में प्रवेश और निरीक्षण के अधिकार दिये गये है:–

1– आबकारी विभाग के अधिकारी:–
(i) सहायक आबकारी आयुक्त
(ii) आबकारी निरीक्षक

2– पुलिस विभाग के अधिकारी
उपाधीक्षक पुलिस से अनिम्न पद का अधिकारी ।

आबकारी विभाग में संयुक्त आबकारी आयुक्त और उप आबकारी आयुक्त के पद भी हैं। इन पदधारक अधिकारियों को भी उनके नियुक्ति क्षेत्र के अनुज्ञापनों के निरीक्षण का दायित्व भी विभिन्न पृश्पत्रों द्वारा दिया गया है, किन्तु निरीक्षण का अधिकार न होने के कारण इन अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण अनावश्यक विधिक विवादों में फंस जाते है, और निरीक्षण का परिणामी लाभ विभाग के राजस्व को नहीं मिल पाता है। इस दृष्टि से आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के सभी अधिकारियों को यह अधिकार प्रशासनिक और राजस्व हित में दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(xiii) लाइसेंसधारक को परिभाषित किया जाना :–

यू0पी0एक्साइज एक्ट 1910 की धारा–36 के स्पष्टीकरण (Explanation) में लाइसेंसधारक परिभाषित है। उक्त परिप्रेक्ष्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, कम तीव्रता के मादक पेय

की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप्स के व्यवस्थापन की नियमावलियों में लाइसेंसधारक (Holder of Licence) की परिभाषा रखा जाना व्यापक राजस्व हित में है। वर्तमान परिवेश की आवश्यकताओं के दृष्टिगत लाइसेंसधारक (Holder of Licence) की परिभाषा उक्त नियमावलियों में निम्नानुसार रखी जायः–

लाइसेंसधारकः–

लाइसेंसधारक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति, रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म, कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कम्पनी अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन शीर्ष सहकारी संस्था/निगम जिसका टेण्डर, बोली अथवा प्रस्ताव लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो, यद्यपि औपचारिकताएं पूर्ण कर अनुज्ञापन निर्गत न भी हुआ हो।

इसी क्रम में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन की नियमावलियों में उल्लिखित "बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि जमा करने पर लाइसेंस स्वीकृत किये जायेंगे" के स्थान पर "बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि जमा करने पर लाइसेंस निर्गत किये जायेंगे।"

(xiv) विदेशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर "For sale in Uttar Pradesh only" मुद्रित कराया जाना :–

उत्तर प्रदेश बोतल भराई नियमावली 1969 (यथासंशोधित) में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1– विभिन्न धारिताओं की बोतलों के लेबुलों पर, लेबुल के कन्ट्रास्ट कलर में "For sale in Uttar Pradesh only" विकर्णवत (Diagonally) निम्नानुसार मुद्रित कराया जायेगा जो स्पष्ट रुप से दृष्टव्य होगा।

(क)		750 एम.एल. व उससे ऊपर की बोतलों में		8 एम.एम. आकार के अक्षरों में
(ख)		375 एम.एल. एवं उससे अधिक किन्तु 750एम.एल. से कम की बोतलों में		4 एम.एम. आकार के अक्षरों में
(ग)		180 एम.एल. एवं उससे अधिक किन्तु 375एम.एल. से कम की बोतलों में		2 एम.एम. आकार के अक्षरों में
(घ)		180 एम.एल. से कम की बोतलों में		1 एम.एम. आकार के अक्षरों में

(xv) कतिपय नियमावलियों /विज्ञाप्तियों में संशोधन :–

यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 की नीति के अनुसार वांछित नई नियमावलियों का सृजन एवं प्रचलित नियमावलियों/ विज्ञाप्तियों में भी यथावांछित संशोधन कर लिया जाय।

(xvi) पैन नं0 का प्रस्तुतीकरणः–

वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु मदिरा की दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ पत्र में यह अभिकथन करना अनिवार्य होगा कि चयनित हो जाने पर उसके द्वारा 03 माह के अंदर आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड नं0 प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(xvii) विभिन्न अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक का निस्तारणः–

(क) वर्ष 2011–12 हेतु अवशेष स्टाक का निस्तारण:–

वर्ष 2010–11 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31-03-2011 को बिक्री अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञापी द्वारा अवशेष स्टाक की ब्राण्ड वार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01–04–11 को दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी। इस अवशेष स्टाक का निस्तारण आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के निर्देशानुसार किया जायेगा:–

(ख) वर्ष 2012–13 हेतु अवशेष स्टाक का निस्तारण:–

वर्ष 2011–12 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31–03–2012 को बिक्री अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञापी द्वारा अवशेष स्टाक की ब्राण्ड वार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01–04–12 को दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी। इस अवशेष स्टाक का निस्तारण आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के निर्देशानुसार किया जायेगा।

(xviii) वर्ष 2012–13 हेतु व्यवस्थापन–

वर्ष 2012–13 के लिए उपरोक्त वर्णित अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन प्रस्तावित की गयी प्रक्रिया के अनुसार माह दिसम्बर, 2011 से आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

4(9)–अनुमानित राजस्व प्राप्तियां :–

(क) वर्ष 2011–12 के लिये अनुमानित राजस्व

क्रमांक	मद	अनुमानित राजस्व करोड़ रू0 में
1	**देशी शराब**–प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	4290.00
2	**विदेशी मदिरा**– प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	2700.00
3	**बीयर** – प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	490.00
4	**अन्य मद**–	170.00
	योग =	**7650.00**

(ख) वर्ष 2012–13 के लिये अनुमानित राजस्व

क्रमांक	मद	अनुमानित राजस्व करोड़ रू0 में
1	**देशी शराब**–प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	4720.00
2	**विदेशी मदिरा**– प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	3410.00
3	**बीयर** – प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	680.00
4	**अन्य मद**–	200.00
	योग =	**9010.00**

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2011–12 के लिये अनुमानित राजस्व रू0 7650 करोड़ एवं वर्ष 2012–13 के लिये अनुमानित राजस्व रू0 9010 करोड़ के सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि विधानमण्डल द्वारा

पारित वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में आबकारी विभाग द्वारा की जाने वाली राजस्व–प्राप्ति का अनुमान रुपये 8124 करोड़ दर्शाया गया है। उक्त लक्ष्य के आधार पर जनपदों के लिये आबकारी राजस्व का लक्ष्य निर्धारित करते हुये, कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सर्व–सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में विशेष जोन के रूप में की गई व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि आबकारी देयों की वसूली के बारे में विधिक वयवस्था चयनित संस्था पर अवश्य रखी जाय।

उपर्युक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिन अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं में संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम/नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन/विखण्डन (समाप्त) किया जाना हो, उसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके 31 मार्च,2011 से पूर्व प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय। यदि किन्हीं अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं का संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना हो, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी में) शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि आगामी कार्यवाही समय से की जा सके। प्रश्नगत संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित कराने हेतु आबकारी आयुक्त स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र गहन समीक्षा भी कर ली जाय, ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

भवदीय,

संलग्नक–यथोक्त

(नवल किशोर)
विशेष सचिव।